कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् जितेन्द्र कुमार मोदी व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि कस्बा डहरा, उमरैण, अलवर का स्थानांतरण राउमावि बावड़ीपाड़ा, सज्जनगढ़, बांसवाडा किया गया। जितेन्द्र कुमार मोदी ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 182/2020 जितेन्द्र कुमार मोदी बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई। अपील संख्या 182/2020 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2020 द्वारा जितेन्द्र कुमार मोदी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष 5 रिक्त पद दर्शाते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में 20 दिवस में नियमों एवं विधि के अनुसार एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये हैं।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी जितेन्द्र कुमार मोदी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं का स्थानांतरण 750 किमी दूर होने, पत्नी का अलवर जिले में पदस्थापित होने,वृद्व माता–पिता की देखभाल स्वयं पर होने, बच्चों का अल्पायु में होने, परिणाम शत–प्रतिशत रहने तथा प्रतिकुल पारिवारिक परस्थितियों होने के आधार पर अपना समायोजन राउमावि लीली, उमरैण, अलवर/डहरावाला, रामगढ, अलवर/राउमावि घाट,लक्ष्मणगढ़, अलवर/पेहल, मुण्डावर, अलवर अथवा बागोड़ा, किशनगढ़ बास, अलवर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है। अपीलार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरित स्थान पर दिनांक 01.01.2020 को कार्यग्रहण किया जा चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/अ.182/2020/जितेन्द्र/2020/22 दिनांकः–13/03/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग ....।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.........................।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
4. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर...............................।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
8. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर